मांग संख्या 48
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1 से 7

(i) 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में पदस्थ होने वाले कोर्ट मैनेजर एवं उनके स्टाफ हेतु निम्नानुसार पदों के सृजन हेतु ₹ 100 का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया था । जिसके प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 का प्रतीक प्रावधान किया गया है। पदों के सृजन, मानदेय, अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यालयीन मद पर होने वाला संभावित व्यय ₹ 200.00 लाख है । जिसे विभागीय बचत से किया जायेगा ।

स.क्र.	पदनाम	वेतन (एकमुश्त)	पद संख्या
1	कोर्ट मैनेजर	50000	18
2	स्टेनोग्राफर	10000	18
3	क्लर्क	9000	18
4	भृत्य	7000	18
	योग-		72

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 500 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

(ii) 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत बिलासपुर में राज्य न्यायिक अकादमी के निर्माण हेतु ₹100.00 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया था । जिसकी प्रतिपूर्ति एवं राज्य न्यायिक अकादमी/हैरिटेज भवन/एडीआर सेंटर के निर्माण पर होने वाला संभावित व्यय ₹1600.00 लाख का है । इसे व्यय के अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किया जा रहा है । व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8 से 36

(i) 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत 16 जिलों में फास्ट ट्रेक न्यायालय हेतु निम्नानुसार पदों के सृजन हेतु ₹ 578.69 का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

क्र.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	पद संख्या
1	अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	51550-63070	-	16
2	रीडर ग्रेड-1	9300-34800	4300	16
3	शीघ्रलेखक	5200-20200	2800	16
4	एक्जीक्यूशन क्लर्क	5200-20200	2400	16
5	डिपोजिशन रायटर	5200-20200	1900	16
6	प्रोसेस रायटर	5200-20200	1900	16
7	प्रोसेस सर्वर	5200-20200	1800	16
8	जमादार	4750-7440	1400	16
9	भृत्य	4750-7440	1400	16
	योग-			144

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 2800 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

(ii) 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत सिविल एवं सत्र न्यायालय में लोक अदालते एवं विधिक सहायता हेतु ₹ 100 का आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं प्रातः एवं सायं कालीन न्यायालय हेतु ₹ 100 का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया था । जिसके प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 200 का प्रतीक प्रावधान किया गया है । इस पर होने वाल कुल संभावित व्यय ₹ 12.22 लाख है । जिसे विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 37

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिलों में स्थापित एडीआर सेंटर के कार्यालय व्यय एवं कार्यालय उन्नयन हेतु ₹ 4.35 लाख का व्यय संभावित है । जिसे विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 38

तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत पुलिस अकादमी चंदखुरी के लिए फर्नीचर उपकरण क्रय हेतु ₹ 100.00 लाख का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया था । इसकी प्रतिपूर्ति हेतु राशि ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 39 से 53

तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत वन संपदा के संरक्षण मद में राशि ₹ 1529.76 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 15,29,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 3454

मद क्रमांक 54

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत सांख्यिकीय प्रणाली के उन्नयन मद में फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण हेतु ₹ 27.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय का अपरीक्षित नवीन मद है, जिसे विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवयकता है ।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 55 से 57

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत कारागार अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण मद के अंतर्गत राज्य की 9 जेलों में ओव्हर क्राउडिंग की समस्या में कमी लाने के लिए 20-20 बंदी क्षमता वाली कुल 45 नग अतिरिक्त बैरक्स का निर्माण (महासमुन्द-5, कोरबा-6, रायगढ़-5, जांजगीर-5, बेमेतरा-6, बलौदाबाजार-8, पेण्ड्रारोड-3, कटघोरा-3 एवं मनेन्द्रगढ़-4), जिला जेल रायगढ़ के मुख्य दीवार के विस्तारीकरण, जिला जेल दंतेवाड़ा के पिछले हिस्से की मुख्य दीवार के निर्माण, उप जेल रामानुजगंज में पक्की सड़क निर्माण, मुख्य दीवार की मरम्मत एवं पाकशाला हेतु शेड निर्माण, उप जेल कटघोरा हेतु जेल परिसर की कम्पाउण्ड वाल, 12-12 नग शौचालय/स्नानागार निर्माण, प्रदेश की जेलों में 700 नग शौचालय एवं स्नानागार, 55 नग पानी टंकी, 55 नग नहाने हेतु चबूतरा एवं 09 जेलों में 45-45 नग महिला शौचालय/स्नानागार निर्माण, 04 जेलों (जशपुर, धमतरी, जांजगीर एवं बलौदाबाजार) का विस्तारीकरण, उप जेल बीजापुर में सशस्त्र बल हेतु 04 बैरक्स, किचन एवं टायलेट ब्लाक निर्माण, उप जेल कटघोरा में अधिकारी कर्मचारी आवास निर्माण, 09 नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जेलों में कंसर्टीना वायर फेंसिंग, केन्द्रीय जेल रायपुर में 20 केवी के सोलर पावर प्लांट की स्थापना, जेलों के लिए फायर फायटिंग उपकरणों का क्रय, जिला जेल दंतेवाड़ा में प्रशासनिक भवन, आवासीय भवन निर्माण, केन्द्रीय जेल बिलासपुर/जिला जेल दंतेवाड़ा में शौचालय/स्नानागार निर्माण, केन्द्रीय जेल जगदलपुर में 20-20 बंदी क्षमता वाली 10 बैरकों के निर्माण, उप जेल बलौदाबाजार में 01 नग डबल स्टोरी बंदी बैरक्स का निर्माण हेतु ₹ 2011.42 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,11,42,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 58

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण मद में निम्नानुसार 04 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण (राशि ₹ 51.70 लाख प्रति दर से) हेतु ₹ 206.80 लाख का व्यय संभावित है :-

क्रमांक	जिला	क्रमांक	शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	क्षेत्र का नाम
1	रायपुर	1	डुमर तालाब (मोहबा बाजार)	सामान्य क्षेत्र
		2	चंगोराभाठा	सामान्य क्षेत्र
2	बिलासपुर	3	चिंगराजपारा (सरकण्डा)	सामान्य क्षेत्र
3	दुर्ग	4	कैम्प एरिया (कोसानाला)	सामान्य क्षेत्र

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,06,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 59

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण मद में निम्नानुसार 02 शहरी सिविल डिस्पेंसरी भवन के निर्माण (राशि ₹ 20.91 लाख प्रति दर से) हेतु ₹ 41.82 लाख का व्यय संभावित है :-

क्रमांक	जिला	क्रमांक	शहरी सिविल डिस्पेंसरी भवन का नाम	क्षेत्र का नाम
1	रायपुर	1	काशीराम नगर	सामान्य क्षेत्र
		2	कबीर नगर	सामान्य क्षेत्र

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 41,82,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 60 से 62

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण मद में 58 उपस्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण (राशि ₹ 20.91 लाख प्रति दर से) हेतु अपरीक्षित मद के रूप में राशि ₹ 1213.40 लाख का व्यय संभावित है :-

क्रमांक	जिला	क्रमांक	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	क्षेत्र का नाम
1	राजनांदगांव	1	दीवान झिटिया	सामान्य क्षेत्र
		2	मेढ़ा	सामान्य क्षेत्र
		3	भोथली	सामान्य क्षेत्र
		4	रामाटोला	सामान्य क्षेत्र
		5	मुढ़ीपार	सामान्य क्षेत्र
		6	ठाकुरटोला	सामान्य क्षेत्र
		7	समनापुर	सामान्य क्षेत्र
		8	भुरभुसी	सामान्य क्षेत्र
		9	कटंगी	सामान्य क्षेत्र
		10	ढाबा	सामान्य क्षेत्र
2	कबीरधाम	11	मानिकचौरी	सामान्य क्षेत्र
		12	कोयलारझोरी	सामान्य क्षेत्र
		13	कुम्ही	सामान्य क्षेत्र
3	रायपुर	14	पारागांव	सामान्य क्षेत्र
		15	कोसमंदी	सामान्य क्षेत्र
4	जांजगीर	16	सरायपाली (पौरथा)	सामान्य क्षेत्र
5	धमतरी	17	गाढ़ाडीह	सामान्य क्षेत्र
6	बालोद	18	तवेरा	सामान्य क्षेत्र
7	बिलासपुर	19	बुंदेला	सामान्य क्षेत्र
		20	मंगला	सामान्य क्षेत्र
8	दुर्ग	21	सिंगारपुर	सामान्य क्षेत्र
		22	मनकी	सामान्य क्षेत्र
		23	कुरू	सामान्य क्षेत्र
		24	घुघवा	सामान्य क्षेत्र
		25	कुआगांव	सामान्य क्षेत्र
		26	खम्हरिया	सामान्य क्षेत्र
		27	पथरिया	सामान्य क्षेत्र
		28	कण्डरका	सामान्य क्षेत्र
		29	जरवाय	सामान्य क्षेत्र
		30	चिरवली	सामान्य क्षेत्र
		31	कुरदी	सामान्य क्षेत्र
		32	भरदाकाला	सामान्य क्षेत्र
		33	चिहरो (दिधवाडी)	सामान्य क्षेत्र
9	रायपुर	34	डोमा	सामान्य क्षेत्र

		35	ढोढरा	सामान्य क्षेत्र
		36	टेकरी	सामान्य क्षेत्र
10	राजनांदगांव	37	खडगांव	आदिवासी क्षेत्र
		38	भर्रीटोला	आदिवासी क्षेत्र
		39	वासड़ी	आदिवासी क्षेत्र
		40	पंडरवानी	आदिवासी क्षेत्र
		41	चिल्हाटी	आदिवासी क्षेत्र
		42	चिखली	आदिवासी क्षेत्र
11	कोरिया	43	गोधरा	आदिवासी क्षेत्र
		44	दसेर	आदिवासी क्षेत्र
12	सरगुजा	45	गिरहुलडीह	आदिवासी क्षेत्र
		46	केरजू	आदिवासी क्षेत्र
13	बलरामपुर	47	कुशपुर	आदिवासी क्षेत्र
14	सुरजपुर	48	चंपकनगर	आदिवासी क्षेत्र
		49	अगस्तपुर	आदिवासी क्षेत्र
		50	हरिहरपुर	आदिवासी क्षेत्र
		51	खोपा	आदिवासी क्षेत्र
15	रायपुर	52	सलोनी	विशेष घटक क्षेत्र
		53	चिनोरी	विशेष घटक क्षेत्र
		54	सेवई	विशेष घटक क्षेत्र
16	जांजगीर	55	पकरिया (लटिया)	विशेष घटक क्षेत्र
		56	आडिल	विशेष घटक क्षेत्र
17	मुंगेली	57	टेमरी	विशेष घटक क्षेत्र
		58	छिंदभोग	विशेष घटक क्षेत्र

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,13,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 63

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण मद में 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु ₹ 45.23 लाख का व्यय संभावित है :-

क्रमांक	**जिला**	**विकासखण्ड**	**क्रमांक**	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम**	**क्षेत्र का नाम**
1	रायपुर	फिंगेश्वर	1	जामगांव	सामान्य क्षेत्र

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 45,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4406

मद क्रमांक 64 से 66

तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत वन संपदा के संरक्षण मद में राशि ₹ 265.15 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,65,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।